भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3394
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल कॉलेज में यूजी और पीजी सीटें

†3394. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश में अवर स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा सीटों के साथ-साथ चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देशभर में चिकित्सा महाविद्यालयों और स्नातक तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या में हुई वृद्धि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार में स्थापित या अनुमोदित नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है और यूजी और पीजी मेडिकल सीटों में वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास बिहार में यूजी और पीजी मेडिकल सीटों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सरकार ने देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है और परिणामस्वरूप, एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 118.6% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 से पहले 387 से बढ़कर वर्तमान में 846 हो गई है। इसी प्रकार, एमबीबीएस सीटों की संख्या में 172.4% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 से पहले 51,348 से बढ़कर वर्तमान में 1,39,864 हो गई है। इसी तरह, स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में 176.9% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 से पहले 31,185 से बढ़कर वर्तमान में 86,360 हो गई है। बिहार में, पिछले पांच वर्षों के दौरान मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है, जो 20 से बढ़कर 27 हो गई है, जबकि एमबीबीएस सीटों की संख्या में 77.4% की वृद्धि हुई है, जो 2,415 से बढ़कर 4,285 हो गई है।

देश में चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं के संवर्धन और चिकित्सा मानकों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय/कदम निम्नलिखित हैं:

i. जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन करते हुए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) जिसके तहत बिहार के 8 कॉलेजों सहित 157 नए मेडिकल कॉलेजों अनुमोदन प्रदान किया गया है।

ii. राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने/उन्नत करने के लिए सीएसएस, जिसके तहत एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि के लिए 5972.20 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत, 72 कॉलेजों में प्रथम चरण में 4058 पीजी सीटों के लिए 1498.43 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत और 65 कॉलेजों में द्वितीय चरण में 4000 पीजी सीटों के लिए 4478.25 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ सहायता प्रदान की गई है।

iii. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा चिकित्सा महाविद्यालयों/स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों/सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए चरण-III (सीएसएस) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रति सीट 1.5 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई सीमा लागत के साथ 5000 स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने और 1.5 करोड़ रुपये प्रति सीट की बढ़ी हुई सीमा लागत के साथ 5023 एमबीबीएस सीटों के लिए यूजी स्कीम के लिए मौजूदा सीएसएस स्कीम का विस्तार करना है। दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की समयसीमा वर्ष 2028-2029 तक है।

iv. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के घटक "सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन" के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

v. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 22 एम्स को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ हो चुके हैं।
